कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 228 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 / दिनांक 31 / 03 / 2016

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.640 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। FP / UK / Road / 9709 / 2015**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 1885 / 12–1, बड़कोट दिनांक 20.02.2017 एवं कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1674 12–1(1) दिनांक 18.02.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रीजनल ऑफिस भारत सरकार द्वारा लगायी गयी 21 बिन्दुओं की क्वेरी के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा आपत्तियों का ऑनलाईन निराकरण कर दिया गया था। जिसके क्रम में कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पुनः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. बिन्दु सं0 01– के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का संशोधित Geo referenced digital map ऑनलाईन पार्ट–1 में यथास्थान अपलोड कर दिया गया।
2. बिन्दु सं0 02– के अनुसार प्रस्तावित रोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है तथा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिये डी0पी0आर0 गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक सं0 56 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 दिनांक 17.01.2017 द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।
3. बिन्दु सं0 03– के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0– 397 / XVIII (II) / 2012, राजस्व विभाग देहरादून, दिनांक 29.02.2012 में उल्लेख किया गया है कि अब वन भूमि हस्तान्तरण मामलों में उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिये प्राप्त की जायेगी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी ने अपने पत्र सं0 2085 / ग्यारह–9 (2014–15) दिनांक 23.03.2015 द्वारा भी उपरोक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार ही समानान्तरित भूमि प्रतियावर्तत के आदेश निर्गत किये गये है। अतः प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रतियावर्तित भूमि 3.640 है0 के अनुसार Copy of ownership proof, MOU/Agreement executed between the Present owner and the

User Agency व Copy of non encumberence certificate for the forest land ऑनलाईन यथास्थान अपलोड़ कर दिये गये है।

4. बिन्दु सं0 04– के अनुसार पार्ट–1 के पैरा L(H) में संशोधित प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
5. बिन्दु सं0 05– के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का GIS software generated geo referenced digital map निर्धारित स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
6. बिन्दु सं0 06– के अनुसार एन0पी0बी0 धनराशि रू0 3417960.00 आंकलित की गयी है जो कि पार्ट–1 के Additional Information में अपलोड कर दी गयी है, यदि भविष्य में एन0पी0बी0 दरों में वृद्धि की जाती है तो याचक विभाग बढ़ी हुयी धनराशि के भुगतान के लिये वचनबद्ध है जिसका प्रमाण पत्र भी Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।
7. बिन्दु सं0 07– के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट–2 में आप अपने स्तर से अपलोड करने का कष्ट करें।

अतः पुनः आपको सम्बन्धित प्रस्ताव आनलाईन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
पुरोला

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला /तदिनांक

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला ने अपने पत्रांक संख्या 114/पी.एम.जी.एस.वाई. दिनांक 20.02.2015 के द्वारा खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.640 है0 भूमि एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि के बदले दुगुने सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र संख्या मेमो/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2011-12 दिनांक 02 मार्च, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 6324 म. 6.076, 6557 म. 1.204 है0 कुल 7.280 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की प्रस्तावित की गयी जिसका नक्शा-खसरा एवं उद्वरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी ।

उक्त के अतिरिक्त पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या 4741म. 0.850 है0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की प्रस्तावित की गयी तथा प्रसतावित भूमि का नक्शा-खसरा एवं उद्वरण खतौनी की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि **शासनादेश संख्या 397/XVIII (II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012** के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा बर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनोश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये ~~किये~~ प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्या खरादी से स्यालना-भन्साड़ी मोटर मार्ग हेतु ग्राम स्यालना की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या **6324 म. 3.640 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-9 (3)ड. की एवं पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बडोगी की वर्तमान नॉन जेड.ए.खतौनी फसली बर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 16 के खसरा संख्या **4741 म. 1.925 है0** भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. की भूमि को वन अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की जाती है ।

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2085/ग्यारह-9 (2014-15) दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

582
R.K.
अनुप्रावन सुनिश्चित
हसीलदार
बड़कोट
30/03/15

2- तहसीलदार, बड़कोट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त भूमि का नियमानुसार म्यूटेशन की कार्यवाही करवाते हुये तद्नुसार इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, बड़कोट।

4- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

5- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या-397/XVIII(II)/2012

प्रेषक,

पी.सी.शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त,
गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग देहरादून, दिनांक 29 फरवरी, 2012

विषय :- वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 20,000 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)2010, दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह उल्लेख किया गया है कि "वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में अब उतनी ही भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि, योजनाओं के लिए प्राप्त की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की आवश्यकता जिस प्रकार होगी, उसी के अनुरूप समय-समय पर वन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी"। शासन स्तर पर यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद कई मामलों में सैद्वान्तिक तथा अंतिम स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त कई योजनाओं के वन भूमि हस्तांतरण इस बीच भारत सरकार को भेजे जा चुके है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अथवा उसे भेजे गये इन प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी योजनाओं की अनुमानित संख्या 140 है जिनमें एन.पी.वी. आदि भी जमा की जा चुकी है। अब यदि इन प्रस्तावों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे इन योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्वान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमीदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी

[illegible] वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव [illegible] योजनाओं की भूमि पर क्षतिपूर्ति [illegible] किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके।

वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमीदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी।

उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के अनुरूप कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु प्रस्ताव वन विभाग को समयबद्ध आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृ0प0सं0– 397 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:3,500

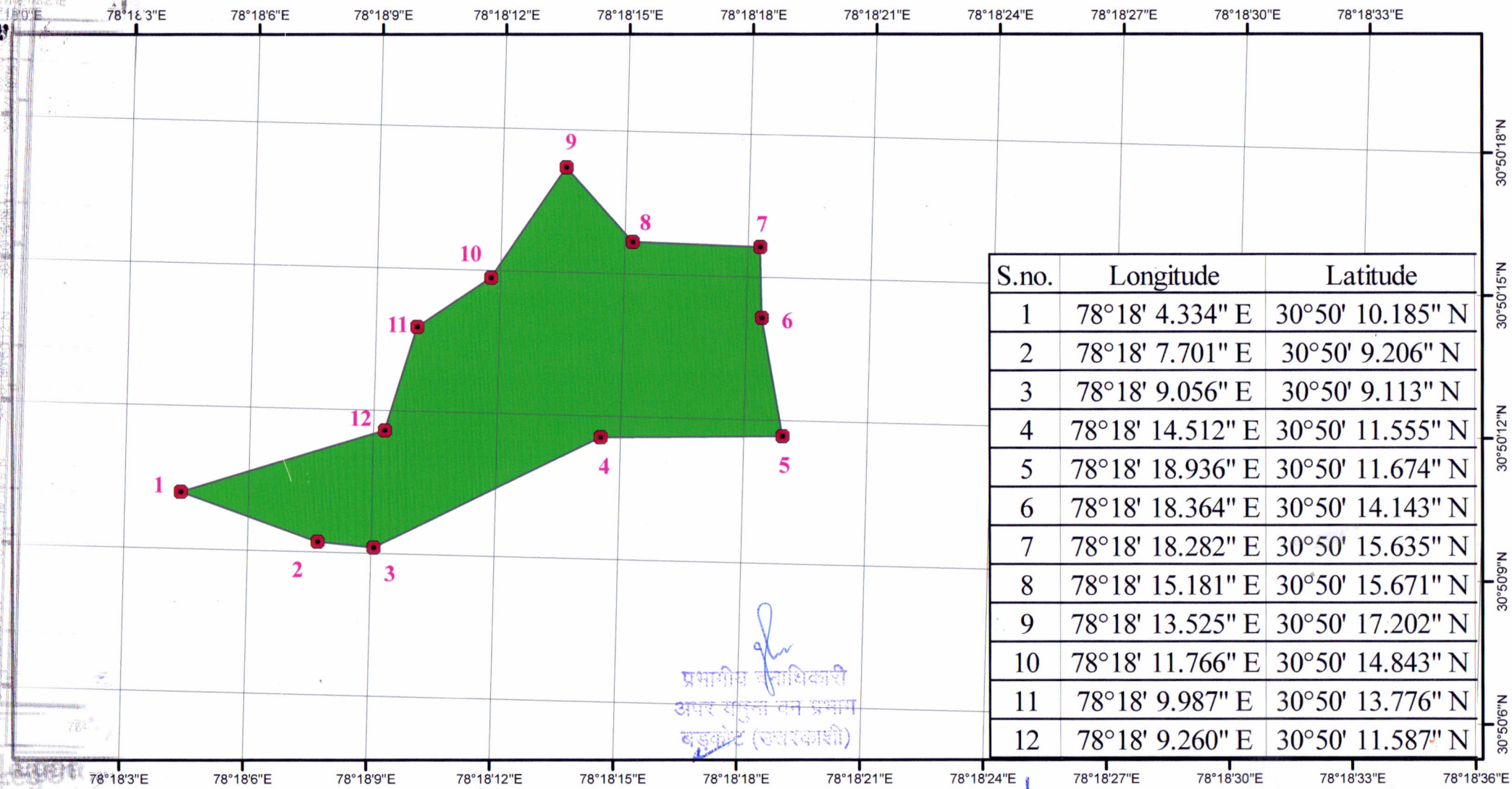

S.no.	Longitude	Latitude
1	78°18' 4.334" E	30°50' 10.185" N
2	78°18' 7.701" E	30°50' 9.206" N
3	78°18' 9.056" E	30°50' 9.113" N
4	78°18' 14.512" E	30°50' 11.555" N
5	78°18' 18.936" E	30°50' 11.674" N
6	78°18' 18.364" E	30°50' 14.143" N
7	78°18' 18.282" E	30°50' 15.635" N
8	78°18' 15.181" E	30°50' 15.671" N
9	78°18' 13.525" E	30°50' 17.202" N
10	78°18' 11.766" E	30°50' 14.843" N
11	78°18' 9.987" E	30°50' 13.776" N
12	78°18' 9.260" E	30°50' 11.587" N

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Land

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
मोरी – उत्तरकाशी

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:3,500

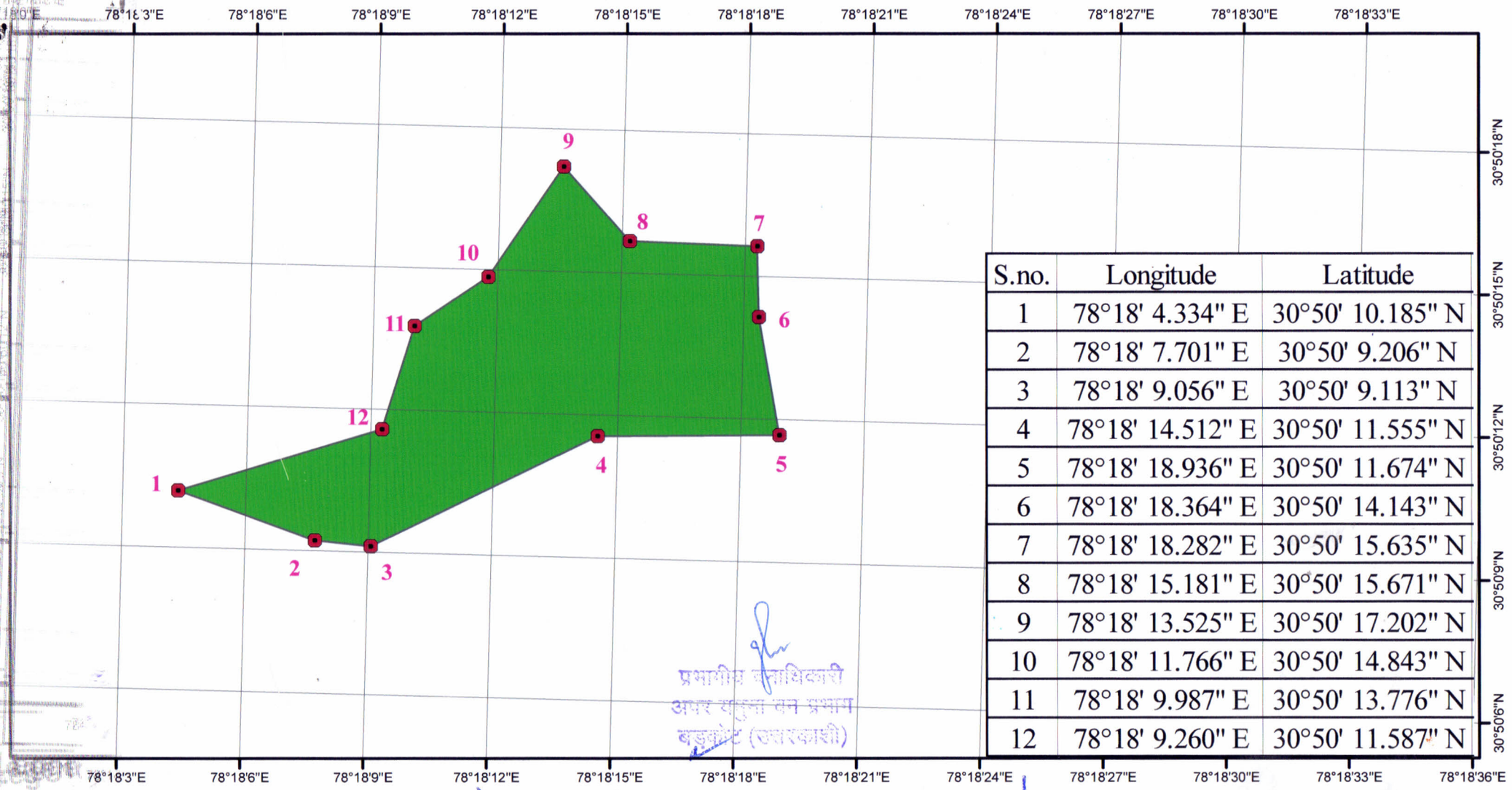

S.no.	Longitude	Latitude
1	78°18' 4.334" E	30°50' 10.185" N
2	78°18' 7.701" E	30°50' 9.206" N
3	78°18' 9.056" E	30°50' 9.113" N
4	78°18' 14.512" E	30°50' 11.555" N
5	78°18' 18.936" E	30°50' 11.674" N
6	78°18' 18.364" E	30°50' 14.143" N
7	78°18' 18.282" E	30°50' 15.635" N
8	78°18' 15.181" E	30°50' 15.671" N
9	78°18' 13.525" E	30°50' 17.202" N
10	78°18' 11.766" E	30°50' 14.843" N
11	78°18' 9.987" E	30°50' 13.776" N
12	78°18' 9.260" E	30°50' 11.587" N

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Legend

- GPS Co ordinates
- Ca Land

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
मोरी – उत्तरकाशी

डिजिटल मानचित्र – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 2 Km

1 : 50,000

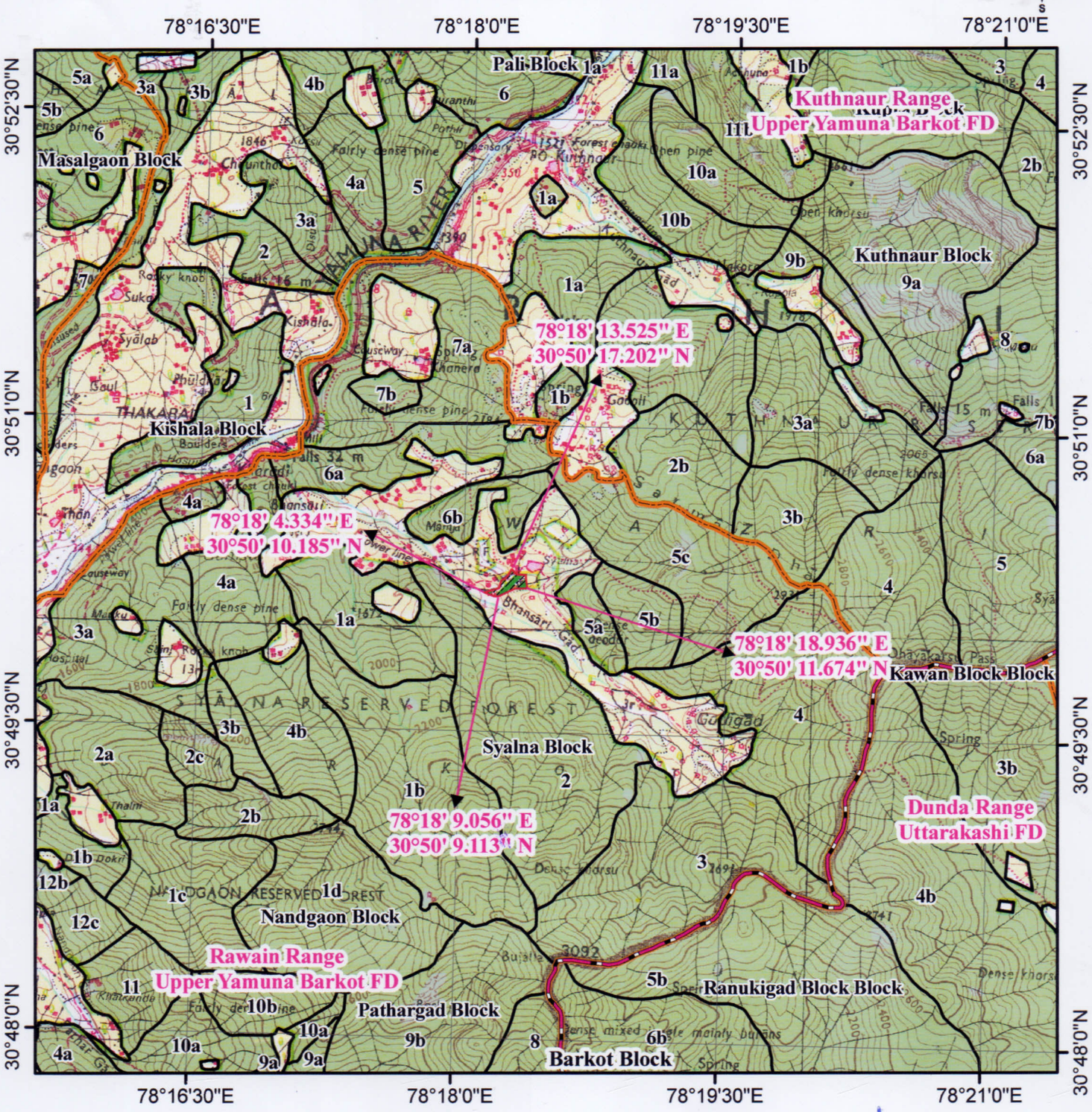

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Division Forest Boundary

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बोर्डर – उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग का र्निमाण ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमी खसरा संख्या 6324 कुल रकवा 3.64 हे0 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है ।

तहसीलदार
बड़कोट

उपजिलाधिकारी
बडकोट

(राजीव चन्द रमोला)

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमी खसरा संख्या 6324 कुल रकबा 3.64 हे0 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है ।

तहसीलदार
बड़कोट

उपजिलाधिकारी
बडकोट

(राजीव चन्द रमोला)

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि खरादी से स्यालना भन्साडी मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू चिन्हित भूमी खसरा संख्या 6324 कुल रकवा 3.64 हे0 उत्तराखण्ड 9(3)ड. में दर्ज है तथा यह भूमि राजस्व विभाग बड़कोट के स्वामित्व में है । एवं इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है ।

तहसीलदार
बड़कोट

उपजिलाधिकारी
बडकोट

21.3.24
(राजीव चन्द्र रमोला)

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi